सचिका स0–7 / बजट–46–19 / 2021 – 545 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–20 / 03 / 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु रुपये 93,53,00,000 / – (तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में राशि रु0 25,00,00,000 / –(रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–1185(10), दिनाक–01 03 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 मे अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु रुपये 93,53,00,000 / – (तिरानवे करोड तिरपन लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी।

2– जहानाबाद जिला मे 300 शैय्या वाला सदर अस्पताल का निर्माण विभागीय सकल्प सख्या–278, दिनांक–04 04.2007 से लिया गया है। आयुक्त, मगध प्रमडल, गया के पत्राक–809, दिनांक–21 04 2018 जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–1053, दिनाक–07 07.2018 द्वारा भी पुराने एव जर्जर भवन में अस्पताल संचालन होने से अप्रिय घटना होने की संभावना बतलायी गयी है। जिला स्वास्थ्य समिति के निदेश पर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद के पत्रांक–713, दिनांक–07 07 2017 के द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदन उल्लेखित है कि "अस्पताल का अधिकाश हिस्सा अयोग्य है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जान–माल का भी खतरा है। इसलिए उक्त भवन को यथाशीघ्र खाली करना अति आवश्यक है क्योंकि वहां पर काफी संख्या में मरीजों की भीड लगी रहती है ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे।"

3– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनाक–24.01..2025, एवं F.No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक–24.01 2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–69 / वि0 दिनाक–27 01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I " के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को उक्त योजना हेतु कुल रु0 25.00 करोड मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

4– अबतक उक्त योजना मे विभिन्न व्ययादेशो के माध्यम से निगम को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश / व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2019–20	10,00,00,000 / –	स0–128(10), दिनाक–07 06 2019
2	2020–21	2,37,09,960 / –	स0–924(10), दिनाक–24 03 2021
कुल योग–		**12,37,09,960 /-**	

E \Sadar Hos Jehanabad doc

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु रुपये 93,53,00,000/– (तिरानवे करोड तिरपन लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि के समतुल्य राशि रु0 25,00,00,000/–(रुपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–1185(10), दिनाक–01 03 2019 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

7– उक्त कार्य मांग सख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113 –जिला एव अनुमडलीय अस्पताल, भवनो का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत **तृतीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

8– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04.08, 3758/वि0, दिनाक–31.05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनाक–04 07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनाक–06 12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से संबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

11– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29 03.2023 एवं पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27. 01 2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–7/बजट–46–19/2021 के पृष्ठ–45/टि0 पर प्राप्त है।

15– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः– 545 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–20/03/2025

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, मगध प्रमडल, गया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

E:\Sadar Hos Jehanabad doc